[1][भाग 5

प्रबन्ध कमेटी का कार्यालय

[2][**445.** नियम 406, 433, 434 और 435 मे अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल तीन वर्ष होना, प्रबन्ध कमेटी के किसी निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगा।]"

446. प्रबन्ध कमेटी का कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि नाम निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी की इच्छा हो।

[3][**447**. प्रबन्धक कमेटी का कोई आमेलित सदस्य-

(1) यदि समिति की उपविधियों के अनुसरण में आमेलित किया जाये, तो उप विधियों में व्यवस्थित अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) यदि नियम 430 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आमेलित किया जाये तो प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करेगा।

(3) यदि नियम 450 के अधीन आमेलित किया जाये तो उस व्यक्ति के जिसकी रिक्ति में उसका आमेलन किया जाये, शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

448. किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई पदेन सदस्य (यदि कोई हो) प्रबन्ध कमेटी में तब तक रहेगा जब तक कि वह ऐसा पद

धारण किये रहे जिसके कारण वह ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त या नाम निर्दिष्ट किया गया हो।

[4][449 (1) कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति के प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचित या आमेलित किये जायं जाने के लिए पात्र न होगा, यदि उसने पूर्ण या आशिंक रूप से लगातार कार्याकाल तक समिति में पद धारण किया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि कि किसी व्यक्ति द्वारा नियम 404 या नियम 434 या नियम 435 या धारा 35 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन संगठित प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप मे धारित पदावधि की गणना इस नियम के अधीन अवधि की संगणना करने के लिए नहीं की जायेगी।

(2) कोई सदस्य जो लगातार कम से कम तीन वर्षो तक पद पर न रहा हो, (अर्थात वह किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न रहा हो) उस समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में निर्वाचन या आमेलन के लिए पुनः पात्र हो जायेगा।

450. यदि किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित या आमेलित सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो प्रबन्ध कमेटी के शेष सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से जो कमेटी की सदस्यता के लिए पात्र हों, आमेलन द्वारा पूरी की जायेगी।

451. यदि प्रबन्ध कमेटी नियम 450 के अधीन रिक्ति को आमेलन द्वारा न भरे तो निबन्धक समिति की ऐसी रिक्तियॉ 30 दिन के भीतर पूरी

करने की नोटिस दे सकता है और यदि समिति ऐसा न करे तो निबन्धक कमेटी की सदस्यता के लिए अर्ह व्यक्तियों में से नाम निर्देशन करके रिक्ति पूरी कर सकता है:

[3][452. सभापति और उप-सभापति का कार्यकाल प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समान होगा।

1. अधिसूचना संख्या 2936/XII-E4-4.(66)-78 दिनांक 27 जून 1978 के द्वारा रखे गये।

2. नियम 438-क अधिसूचना सं0 2849/49-1-98-7(11)-97 दिनांक 9 जुलाई 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. अधिसूचना संख्या 2700/49-1-94-7(1)-94 दिनांक 15.7.1994 द्वारा बदला गया।

4. अधिसूचना संख्या 1028/49-1-99-7(11)/97 दिनांक 26 फरवरी 1999 द्वारा प्रतिस्थापित तथ अधिसूचना सं0 2497/49-1-2000-7(10)-95 टी0सी0 दिनांक 19 अक्टूबर 2000 द्वारा नियम “449“ निकाल दिया गया। जो उ0प्र0 असाधारण गजट भाग-4 खण्ड(ख) दिनांक 19 अक्टूबर 2000 में प्रकाशित।

भाग 6- प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए अनर्हता